जिला जन अभियोग एवं सतर्कता उप–समिति बाड़मेर

अध्यक्षता : श्री लोक बंधु, आईएएस, जिला कलक्टर बाड़मेर
सदस्य – श्री महेन्द्र चौधरी, जिला प्रमुख बाड़मेर
सदस्य सचिव – श्री ओमप्रकाश बिश्नोई, अपर जिला कलक्टर बाड़मेर

राजस्थान सुनवाई का अधिकार
द्वितीय अपील सं. 17/2021

अपीलांट–	बनाम	रेस्पोडेंट्स–
जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर		1. मुकेशसिंह पुत्र त्रिलोकसिंह निवासी जीआरपी थाने के पीछे, स्वामियों की गली, नेहरू नगर बाड़मेर 2. उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर 3. तहसीलदार बाड़मेर

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के अन्तर्गत द्वितीय अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 22.01.2021 जो प्रथम अपील प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपील संख्या 01/2014 अनवान मुकेशसिंह बनाम जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर में पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री आनन्द शर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर (अपीलार्थी)
2. श्री मुकेशसिंह, रेस्पोडेंट सं. 1 स्वंय उपस्थित।
3. श्री रोहित चौहान, उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर, रेस्पोडेंट सं. 2 स्वंय उपस्थित।
4. श्री प्रेमसिंह चौधरी, तहसीलदार बाड़मेर रेस्पोडेंट सं. 3 स्वंय उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 14.09.2021

1. अपीलार्थी की ओर से यह द्वितीय अपील अधीनस्थ प्रथम अपील प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत प्रथम अपील सं. 01/2014 अनवान मुकेशसिंह बनाम जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर में पारित आदेश दिनांक 22.01.2021 के विरूद्ध इस उप–समिति के समक्ष दिनांक 16.04.2021 को प्रस्तुत की गई हैं। अपील के संलग्न ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्र[illegible] गये हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.29 11:51:31 IST
Reason: SelfAttested

2. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अपील के [illegible] यह है कि रेस्पोडेंट मुकेशसिंह पुत्र श्री त्रिलोकसिंह जीआरपी पुलिस थाने के पीछे स्वामियों की गली नेहरू नगर बाड़मेर द्वारा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत प्रारूप–1 में लोक सुनवाई अधिकारी तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष आवेदन दिनांक 14.06.2013 को प्रस्तुत कर परिवाद में उल्लेखित

(महेन्द्र चौधरी)
प्रमुख
जिला परिषद, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई उपरान्त उचित आदेश पारित करने का निवेदन किया। रेस्पोडेंट द्वारा अपने परिवाद में अनुतोष चाहा गया कि मेरे पुश्तैनी व खातेदारी खेत खसरा नंबर 1488 व 1500 पर पुलिस विभाग ने पुलिस लाईन चारदीवारी बनाते समय अनाधिकृत रूप से घेर कर कब्जे में ले रखा है जिसकी सुनवाई पर कब्जा दिलाने हेतु उचित निर्णय फरमाया जावे। अपने परिवाद के संलग्न रेस्पोडेंट द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी की प्रति, पुलिस विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में हलका पटावरी बाड़मेर व बाड़मेर आगोर सहित सदस्य समिति की फर्द मौका रिपोर्ट, पुलिस लाईन के लिये अवाप्त भूमि के खसरों की सूची में प्रार्थी के उक्त खसरों का उल्लेख नहीं होना एवं खसरा गिरदावरी रिपोर्ट के साथ–साथ वर्ष 1993 में पुलिस विभाग द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने बाबत गिरदावरी की प्रतियां प्रस्तुत की गईं। लोक सुनवाई अधिकारी तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त परिवाद पर निर्धारित समयावधि में उचित निर्णय नहीं करने पर रेस्पोडेंट मुकेशसिंह द्वारा प्रथम अपील दिनांक 28.05.2014 को लोक सुनवाई अपीलीय अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रथम अपील अधिकारी द्वारा भी नियत समय में कोई विधिसम्मत निर्णय पारित नहीं किये जाने पर रेस्पोडेंट द्वारा द्वितीय अपील संख्या 2/2014 जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति बाड़मेर की उप–समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। उप–समिति द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरान्त आदेश दिनांक 23.07.2014 के द्वारा रेस्पोडेंट की द्वितीय अपील स्वीकार कर मामला सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए नियमानुसार उचित आदेश पारित करें। इस पर अधीनस्थ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्यों को अभिलेख पर लेते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2021 पारित कर रेस्पोडेंट की अपील स्वीकार की गई। उक्त प्रथम अपील में उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि बाड़मेर शहर के खसरा नंबर 1488 व 1500 पर पुलिस लाईन की चारदीवारी निर्मित को नियमानुसार पुलिस विभाग द्वारा भूमि अवाप्त करवाकर अपीलांट को मुआवजा भुगतान करने अन्यथा अपीलांट को भूमि का कब्जा सुपुर्द करने का आदेश पारित किया गया। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के इस आदेश के विरूद्ध जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर की ओर से यह द्वितीय अपील उप–समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपी[illegible] पुलिस लाईन की चारदीवारी के अन्दर खसरा नंबर 1488 व 1500 की भूमि पर वर्ष 1[illegible] से ही पुलिस विभाग का कब्जा है तथा पुलिस लाईन के लिये भूमि अवाप्त हुई थी [illegible] अवाप्ति की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत जोधपुर द्वा[illegible] की गई थी एवं अन्तिम अवार्ड के बाद मामले में अभिलेख अमलदरामद की कार्यवाही नहीं करवाने के फलस्वरूप पुलिस लाईन के नाम आज भी इन्द्राज नहीं हुआ है। अपीलार्थी का वर्ष 1955 से उक्त भूमि पर निर्बाध कब्जा है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.29 11:51:31 IST
Reason: SelfAttested

(... चौधरी)
प्रमुख
जिला परिषद, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

एडवर्स पजेशन के सिद्धान्त के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में है। पुलिस लाईन बाड़मेर की भूमि के खसरा नंबर 1487 व 1501 बाबत राजस्व वाद संख्या 177/2002 छगनाराम बनाम राजस्थान सरकार में भी उक्त भूमि को सरकारी मानते हुए वाद निरस्त किया गया। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का सम्पूर्ण मौका नहीं दिया गया तथा विवादित भूमि के अवाप्ति आदेश एवं अवार्ड के दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करावें। पुलिस लाईन बाड़मेर के लिये भूमि अवाप्त करने के संबंध में अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 के तहत 49.58 एकड़ भूमि अवाप्त करने का धारा 4 का नोटिफिकेशन संख्या एफ–13(135)रेवेन्यु/ए/01/54 दिनांक 07.04.1955 के द्वारा अवाप्त की गई भूमि के अवार्ड की प्रतियां वर्तमान में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपलब्ध नहीं है जो अतिशीघ्र प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी। अतः अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रथम अपील संख्या 1/2014 में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2021 को अपास्त करने की कृपा करावें।

4. रेस्पोडेंट मुकेशसिंह द्वारा जवाब में विस्तृत अभिकथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पुलिस परेड ग्राउण्ड एवं खेल मैदान हेतु हमारे खेत के खसरों को आरक्षित नहीं होने के कारण इन्हें अवाप्ति की प्रक्रिया में नहीं लिया गया और अवाप्त नहीं करने के कारण हमें किसी प्रकार का कोई मुआवजा/हर्जाना नहीं दिया गया और आज तक पुलिस विभाग ने राज्य हित में उक्त खसरों को सुपुर्द करने का निवेदन भी सक्षम अधिकारी अथवा राज्य सरकार के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया है। खसरा संख्या 1488 की 11 बीघा एवं 1500 की 3–14 बीघा कुल 14–14 बीघा भूमि वक्त सेटलमेण्ट रेस्पोडेंट के दादा जोगाजी वल्द वीरमाजी के नाम खातेदारी दर्ज हुई थी तथा उसके पश्चात उत्तरोत्तर पारिवारिक सम्पति नामान्तरकरण के द्वारा वर्तमान में रेस्पोडेंट व उसकी माता चन्द्रा पत्नी तिलोकसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। रेस्पोडेंट द्वारा वर्ष 2012 में लोक सुनवाई अधिकारी तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर उक्त पुश्तैनी खेत खसरों की स्वामित्व में दस्तावेजी सबूत मांगते हुए सुनवाई कर पुलिस विभाग द्वारा अवाप्ति कार्यवाही कर भुगतान किये बिना अनाधिकृत कब्जा हटाने का निवेदन किया गया था। पुलिस विभाग द्वारा अपने स्तर पर हुए अनाधिकृत कब्जे जैसे गैर–कानूनी कार्य को सही ठहराने के प्रयास के तहत उक्त प्रकरण को सिविल न्यायालय वाद छगनाराम प्रकरण से तुलना करते हुए प्रेषित किया गया है। रेस्पोडेंट के द्वारा पूर्व में उप–समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई द्वितीय अपील संख्या 2/2014 में समिति [illegible] 23.07.2014 में निर्देशित किया गया था कि नियमानुसार सुनवाई उपरान्त उचित निर्णय लिया जावे। इस आदेश के पश्चात अधीनस्थ प्रथम अपील सुनवाई अधिकारी द्वारा दिनांक 22.01.2021 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उल्लेखित विभागीय [illegible] सूचना दिनांक 07.04.1955 में रेस्पोडेंट के खेत खसरा संख्या 1488 व 1500 का कुल रकबा 14–14 बीघा गजट नोटिफिकेशन के लिये आरक्षित नहीं थी और न ही किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.29 11:51:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रमुख
जिला परिषद, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपने पत्र क्रमांक : राज/2013/3572 दिनांक 09.07.2013 के द्वारा उल्लेखित किया गया है कि उक्त खसरों की भूमि को पुलिस परेड ग्राउण्ड व फुटबाल मैदान में काम ली जा रही है। उक्त भूमि की अवाप्ति संबंधि कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पुलिस विभाग के पास मेरे खेत खसरा सं. 1488 व 1500 का कोई दस्तावेजी रिकोर्ड नहीं है। अतः अपील निरस्त फरमावें।

5. उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया हैं कि प्रकरण में उपखण्ड कार्यालय स्तर से पुलिस विभाग से दस्तावेज चाहे गये परन्तु छः वर्ष का समय गुजर जाने के बाद भी किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने से प्रकरण के निस्तारण में देरही हुई हैं। उपखण्ड कार्यालय स्तर से अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0 जोधपुर से प्रकरण में भूमि अवाप्ति सम्बन्धी एवार्ड की प्रति हेतु पत्रांक 4954 दिनांक 26.10.2020 एवं स्मरण पत्र 5251 दिनांक 18.12.2020 जारी किया गया, वहां से भी किसी प्रकार का प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं। इस पर प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट (वर्तमान रेस्पोडेंट सं.1) की खातेदारी भूमि बाड़मेर शहर के खसरा नम्बर 1488 व 1500 पर पुलिस लाईन की चारदिवारी निर्मित को नियमानुसार पुलिस विभाग उक्त भूमि को अवाप्त करवाकर अपीलांट को मुआवजा भुगतान करें अन्यथा अपीलांट को उसकी खातेदारी भूमि का कब्जा सुपुर्द करें। इसके साथ ही अपीलांट को निर्देशित किया गया हैं कि पुलिस विभाग द्वारा खातेदारी भूमि को नियमानुसार अवाप्ति/कब्जा सुपुर्दगी आदि कार्यवाही नहीं की जाती हैं तो आप अपने हक-हकूक के लिये सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें। इस न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना शेष नहीं हैं।

6. हमने अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोडेंट्स के अभिकथनों/टिप्पणी में प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा अपील के संलग्न भूमि अवाप्ति अधिकारी सानिवि जोधपुर से हुए पत्राचार की प्रतियॉ प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार पुलिस लाईन बाड़मेर हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की पत्रावली वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो रही है किन्तु राजस्व विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 07.04.1955 में अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूमि के अन्तर्गत बाड़मेर कस्बा में पूर्व-पश्चिम-उत्तर खुली जमीन, दक्षिण मौजूदा कलक्टरी भवन 49.58 एकड़ भूमि अवाप्ति हेतु धारा 4 के नोटिस की प्रति प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिकथनों के अनुसार उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 1488 एवं 1500 पर वर्ष 1993 से पुलिस लाईन चारदिवारी निर्माण के पश्चात् कब्जा पुलिस विभाग का होना [illegible] दौरान सुनवाई प्रकट किया कि वर्ष 1993 में जब पुलिस विभाग द्वारा कब्जा [illegible] था उस समय एक परिवाद जिला कलक्टर बाड़मेर को प्रस्तुत किया गया था जिस पर [illegible] 1996 तक कार्यवाही हुई थी। रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा प्रकट इस कथन के समर्थन में किसी प्र[illegible] का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा विवादित भूमि की वर्तमान जमाबंदी अनुसार खातेदारी रेस्पोडेंट सं. 1 की होना प्रकट किया गया हैं किन्तु रेस्पोडेंट सं. 1 व अन्य सहखातेदारान की

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.29 11:51:31 IST
Reason: SelfAttested

(महेन्द्र चौधरी)
प्रमुख
जिला परिषद, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

ओर से अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय में वाद/चारोजोही प्रस्तुत नहीं की गई हैं। अपीलार्थी जिला पुलिस अधीक्षक बाडमेर के अनुसार पुलिस लाईन हेतु 1955 में भूमि अवाप्ति कार्यवाही की जाकर कब्जा प्राप्त कर लिया था जिसके करीब 60 वर्ष बाद रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा लोक सुनवाई का अधिकार के अन्तर्गत यह परिवाद प्रस्तुत कर कब्जे/मुआवजे का अनुतोष चाहा गया हैं जबकि इतनी लम्बी समयावधि तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने का कोई उचित एवं तार्किक कारण प्रकट नहीं किया गया हैं। यद्यपि विवादित भूमि रेस्पोडेंट सं. 1 व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं जिस पर उसका कब्जा नहीं होने तथा लगातार काश्त इत्यादि नहीं करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अधीन खातेदारी की शर्तो के उल्लंघन के फलस्वरूप अधिकारों का पर्यावसान होकर खातेदारी समाप्त हो जाती हैं, इसके उपरांत भी यदि रेस्पोडेंट अपने खातेदारी अधिकारों के संरक्षण एवं भूमि का कब्जा अभिप्राप्त करना चाहता हैं तो उसके लिये सक्षम न्यायालय के समक्ष नियमित वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता हैं। लोक सुनवाई का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विपरित कब्जा, खातेदारी अधिकार एवं कब्जा प्राप्ति संबंधित सारभूत सिविल विवाद्यकों का विनिश्चयन किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता हैं। ऐसे में अधीनस्थ प्रथम अपील सुनवाई अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील में पारित आदेश उक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत होना प्रतीत नहीं होता हैं।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील सर्वसम्मति से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ प्रथम अपील सुनवाई प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रथम अपील सं. 01/2014 में पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2021 अपास्त किया जाता हैं। रेस्पोडेंट सं. 1 विवादित भूमि में अपने हक–अधिकारों के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में नियमित वाद/कार्यवाही प्रस्तुत कर चाराजोही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को सर्वसम्मति से पारित कर सुनाया गया।

(महेन्द्र चौधरी)	(ओमप्रकाश विश्नोई)	(लोक बंधु)
जिला प्रमुख, बाड़मेर	अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर	जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला परिषद, बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.29 11:51:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर